DSA

1

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 07-03-2020 को मेरे विश्राम कक्ष में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए जिला न्यायालय परिसर में विभिन्न दुकानों/स्टॉलों यथा कैन्टीन, स्टेशनरी, कम्प्यूटर टाईपिंग, भोजनालय, फोटो स्टेट, फोटोग्राफी, पान स्टॉल, टी स्टॉल, जूस स्टॉल, मिल्क बार एवं साईकिल स्टैण्ड आदि के ठेके पर विचार किये जानें हेतु बैठक में श्री शंकरलाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट-1) एवं श्री उमेश कुमार द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम अमरोहा के साथ विचार विचार विमर्श किया गया। समिति का मत/निष्कर्ष है कि उपरोक्त सभी दुकानों/स्टॉलों के लिए मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाएं तथा निविदा डाक द्वारा या निविदादाता द्वारा स्वयं केन्द्रीय नजारत में जमा करनें की सुविधा प्रदान की जाए। चूकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्टेशनरी स्टाल का ठेका नहीं हो पाया था इसलिए स्टेशनरी स्टॉल हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 के ठेके की निविदा राशि वित्तीय वर्ष 2020-2021 की निविदा की न्यूनतम राशि होगी, इसके अतिरिक्त अन्य ठेको की निविदा की न्यूनतम राशि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की निविदा की धनराशि में 10 प्रतिशत राशि सम्मिलित करते हुए होगी। सभी दुकानों/स्टॉलों की जमानत धनराशि निविदा की न्यूनतम राशि का 10 प्रतिशत की धनराशि होगी। केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाए कि वह दिनांक 21-03-2020 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त होनें वाली सभी निविदाओं को अपने पास सुरक्षित रखे तथा दिनांक 23-03-2020 को 04:30 बजें समिति के समक्ष प्रस्तुत करें तथा निविदा की सूचना जिला न्यायालय, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारियों, सभी नगरपालिका, टाउन एरिया, सार्वजनिक स्थानों के नोटिस बोर्डो पर चस्पा कराया जाना एवं सम्बन्धित से जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना तथा एक हिन्दी दैनिक अखबार में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा समुचित प्रचार प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को प्रेषित की जाये।

निविदा की शर्ते व नियम निम्न प्रकार होंगेः-

1 – ठेके की अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2021 तक होगी।

2 दिनांक 21-03-2020 को सांय 05:00 बजे तक प्राप्त सभी निविदायें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष दिनांक 23-03-2020 को सांय 04 बजे खोली जायेंगी।

3 – न्यायालय परिसर में नशीली व अन्य अवैध वस्तुऐं नहीं बेची जायेंगी।

4 – प्रत्येक खाद्य वस्तु मानक के अनुसार ही होनी चाहिए। मानक के अनुरूप न होनें पर ठेका निरस्त करनें का सम्पूर्ण अधिकार जिला न्यायाधीश, अमरोहा को प्राप्त होगा।

5 – ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाए एवं अस्थाई निर्माण की व्यवस्था स्वयं करेंगें।

6 – ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7 – निविदा निविदादाता के पक्ष में होनें पर निविदादाता को नियमानुसार 100 रू० के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा। उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय-समय पारित होनें वाले आदेशों का पालन करना होगा। प्रत्येंक दुकान / स्टॉल के लिए निविदा में भाग लेने हेतु अलग-अलग धरोहर राशि जमा करनी होगी जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र०सं०	दुकान / स्टॉल का नाम	दुकान / स्टॉल की संख्या	धरोहर धनराशि	निविदा की न्यूनतम राशि
1.	साईकिल स्टैण्ड	01	1,48,500-00	14,85,000-00
2.	कैन्टीन / भोजनालय	01	34,160-00	3,41,600-00
3.	फोटो स्टेट दुकान सं० – 1	01	20,900-00	2,09,000-00
4.	फोटो स्टेट दुकान सं० – 2	01	18,700-00	1,87,000-00
5.	फोटोग्राफी दुकान	01	23,210-00	2,32,100-00

6.	कम्प्यूर टाईपिंग दुकान	01	13,530-00	1,35,301-00
7.	स्टेशनरी स्टॉल	01	670-00	6,700-00
8.	पान स्टॉल दुकान सं० – 1	01	7,755-00	77,550-00
9.	पान स्टॉल दुकान सं० – 2	01	7,700-00	77,000-00
10.	टी स्टॉल	01	40,700-00	4,07,000-00
11.	जूस स्टॉल	01	17,050-00	1,70,500-00
12.	मिल्क बार / स्टाल	01	2,750-00	27,500-00

8 – ठेकेदार ऐसे दो व्यक्तियों को जमानतदार के रूप में निविदा प्रारूप के कॉलम संख्या - 04 में नाम पता मय परिचय पत्र के साथ अंकित करेंगे जो, ठेकेदार द्वारा समय धनराशि न जमा करनें पर उन जमानतदारों से धनराशि को वसूली की जायेगी।

9 – उपरोक्त दुकानों / , स्टॉलों की मोहरबन्द निविदा हेतु धरोहर धनराशि जिला न्याायाधीश, अमरोहा के नामदेय ड्राफ्ट के रूप में अपनें निविदा पत्र के साथ जमा करनी होगी।

10 – ऊपर वर्णित तालिका में दुकानों / स्टॉलों के सामनें अंकित की गई निविदा की धनराशि से कम धनराशि वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11 – यदि निविदाद्राता एक से अधिक दुकान / स्टॉल की निविदा में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टॉल के लिए अलग – अलग धरोहर राशि जमा करनी होगी। निविदा समाप्त होनें पर यदि निविदादाता को ठेका नहीं मिलता है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि वापस कर दी जाएगी। ठेका मिलने पर जमानत धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।

12 – ठेका अवधि पूर्ण होनें पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को अपना सामान ठेकेदार स्वयं हटायेंगे और भूमि कब्जा प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जिp ला न्यायालय अमरोहा को देगें।

13 – प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की धनराशि का 25 प्रथम किश्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।

14 – आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति, पूर्व में ठेके की किश्त न जमा करनें वाले व्यक्तियों का निविदा में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिए नीलामी को निरस्त कर सकते हैं।

15 – प्लास्टिक, पॉलिथीन व धूम्रपान की वस्तुएं व ज्वलनशील पदार्थ बेचना जिला न्यायालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

16 – प्रत्येक वस्तु की मूल्य – सूची ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी।

(उमेश कुमार - द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/ त्वरित न्यायालय प्रथम
अमरोहा।

(शंकरलाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/ विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट – 1)
अमरोहा।

(अरविन्द मलिक)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
/प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत अनुभाग
अमरोहा।

Approved
13/2/20
DISTRICT JUDGE
AMROHA

आदेश की प्रतिलिपि DSA जिला न्यायालय अमरोहा को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित

Central Nazir
District Court
Amroha

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अमरोहा।

(मोहरबंद निविदा का प्रारुप वित्तीय वर्ष २०२०-२१)

स्टॉल / दुकान का नाम (जिसके लिये निविदा आमंत्रित की जाती है)

०१ टैण्डर देने वाले व्यक्ति का नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

मोबाइल नं०..,..

(पहचान पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति संग्लन करना अनिवार्य है।

०२ टैण्डर की धनराशी (अंको में) ....

टैण्डर की धनराशी (शब्दों में) ....

०३ जमानत की धनराशी (अंको में) ....

जमानत की धनराशी (शब्दों में) ....

(टैण्डर देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

०४ दो जमानतादार व्यक्ति के नाम व पते फोटो व पहचान पत्र सहित

०१ जमानतदार का नाम व पता ....हस्ताक्षर...........................

०२ जमानतदार का नाम व पता ....हस्ताक्षर...........................

दिनॉक........................